



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 514]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 10, 2015/फाल्गुन 19, 1936

No. 514]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 10, 2015/PHALGUNA 19, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2015

का.आ. 691(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के कालम (3) में विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग के कालम (2) में – तदनुरूप प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट के अनुसार उक्त सारणी के कालम (1) में तदनुरूप प्रविष्टि के अनुसार यथा-विनिर्दिष्ट लंबाई, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, अर्थात्:-

**सारणी**

नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग खंड	खंड की लंबाई (किमी में)
(1)	(2)	(3)
344ए	फगवाड़ा – रूपनगर खंड (पंजाब राज्य में)	किमी 0.000 से किमी 88.00

[फा.सं. एनएच-14013/18/2014-पीएंडएम (पार्ट)]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड वी)

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 2015

**S.O. 691(E).**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highway as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely :—

**Table**

New National Highway No.	Section of National Highway	Stretches in Kilometers
(1)	(2)	(3)
344A	Phagwara-Rupnagar section (In the State of Punjab)	From Km.0.00 to Km.88.00.

[F. No. NH-14013/18/2014-P&M (Pt)]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2015

**का.आ. 692(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निर्देश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कालम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कालम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्: —

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 20 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —

(1)	(2)	(3)
"20	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 1 [किमी 212.000 से किमी 387.100 (हरियाणा/पंजाब सीमा से जालंधर) और किमी 407.100 से किमी 491.330 (जालंधर – अमृतसर – वाघा सीमा) तक खंड को छोड़कर], सं. 10, सं. 15 [किमी 6.082 से किमी 108.502 (पठानकोट – अमृतसर खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 20, सं. 21 [(किमी 0.000 से किमी 1.680 और किमी 6.800 से किमी 73.200 (चंडीगढ़/पंजाब सीमा – कुराली – किरतपुर) तक खंड को छोड़कर], सं. 22 [किमी 10.890 से किमी 39.960 और किमी 39.860 से किमी 41.945 (जिरकपुर – पंजाब/हरियाणा सीमा) तक खंड को छोड़कर], सं. 64, सं. 70, सं. 71, सं. 95 [किमी 92.000 से किमी 170.000 (लुधियाना - तलवंडी) तक खंड को छोड़कर], नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 3, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 154ए, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 503 बि., नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 703, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 703ए और नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 754 के उतने भाग जो पंजाब राज्य में अवस्थित हैं।	पंजाब राज्य सरकार"।

[फा.सं. एनएच-14013/18/2014-पीएंडएम (पार्ट)]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

**टिप्पण :** मूल अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसे पिछली बार सं. का.आ.-34 (अ), तारीख 2 जनवरी, 2015 द्वारा संशोधित किया गया था ।

### NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 2015

**S.O. 692(E).**— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4<sup>th</sup> August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 20 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

**TABLE**

(1)	(2)	(3)
"20	So much of National Highways No.1 [excluding from Km. 212.000 to Km. 387.100 (Haryana/Punjab Border to Jalandhar) and from Km. 407.100 to Km. 491.330 (Jalandhar – Amritsar - Wagah Border)], No.10, No.15 [excluding from km. 6.082 to km. 108.502 (Pathankot – Amritsar section)], No.20, No.21 [excluding from Km. 0.000 to Km. 1.680 and from Km. 6.800 to Km. 73.200 (Chandigarh/Punjab border-Kurali-Kiratpur)], No.22 [excluding from Km.10.890 to Km. 39.960 and from Km. 39.860 to Km. 41.945(Zirakpur-Punjab/Haryana Border)], No.64, No.70, No.71, No.95 [excluding from km. 92.000 to km. 170.000 (Ludhiana-Talwandi)], new NH No. 3, new NH No. 154A, new NH No. 503 Extn, new NH No. 703, new NH No. 703A and new NH No. 754 as are situated within the State of Punjab.	State Government of Punjab

[F. No. NH-14013/18/2014-P&M (Pt)]

MAYA PRAKASH, Director (P&M (Pt.))

**Note :** The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4<sup>th</sup> August, 2005 and was last amended vide number S.O. 34 (E), dated the 2<sup>nd</sup> January, 2015.